निकालने की क्या व्यवस्था की जा रही है और कब से ऐसे संस्करणों के प्रकाशित होने की आशा है; और

(ख) अब तक इन संस्करणों के न निकलने में कौन से कारण बाधक रहे ?

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अर्थ अंक निदेशालय ने हिन्दी में दो प्रकाशन पहले से ही निकाले हुए हैं (१) भारतीय फसलों का समय चक्र और (२) भारतीय कृषि की संक्षिप्त रूपरेखा (चौथा संस्करण) और ये दोनों ही जनता के लिए मूल्य वाले प्रकाशनों के रूप में प्रकाशनों के प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली से प्राप्त किये जा सकते हैं। भारतीय कृषि की संक्षिप्त रूपरेखा का पांचवां संस्करण मुद्रण अवस्था में है और बहुत जल्दी ही प्रकाशित किया जायेगा ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

Khejuriaghat—Malda Railway Line

4127. Shri P. C. Borooah: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether a new broad gauge railway line from Khejuriaghat to Malda has been laid; and

(b) if so, at what cost?

The Deputy Minister of Railways (Shri S. V. Ramaswamy): (a) Yes, Sir.

(b) Approximately Rs. 3.27 crores.

Claim Tracers on N. Railway

4128. { Shri S. M. Banerjee: Shri Jagdish Awasthi:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the panel of claim tracers in respect of commercial and office staff of Northern Railway had not yet been implemented;

(b) whether the same was circulated along with General Manager's (N.R.) orders dated the 16th May, 1960;

(c) if so, the reason for this abnormal delay;

(d) whether the staff included in the panel is at present working in local and stop-gap arrangements;

(e) if so, since when; and

(f) the steps taken by Government to implement the panel?

The Deputy Minister of Railways (Shri Shahnawaz Khan): (a) A list of staff suitable for promotion as Claims Tracers (not a panel based on a selection) was formed in October 1960 and is being implemented.

(b) The provisional suitability list was issued on 16-5-1960 and the final list on 18-10-1960.

(c) to (f). Do not arise.

पूर्वोत्तर रेलवे के गार्डों को यात्रा भत्ते

४१२९. श्री खुशवक्त राय : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जतनगर सेक्शन के कुछ गार्डों को वे वेतन और यात्रा भत्ते नहीं दिये गये जो उन्हें क्रमश: १ जनवरी, १९४७ और १ जनवरी १९४९ के नियमों के अन्तर्गत मिलने थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि ये गार्ड गत १२ या १३ वर्षों से इस सम्बन्ध में अभ्यावेदन भेजते रहे हैं किन्तु पूर्वोत्तर रेलवे के प्रशासन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया; और

(ग) क्या इन में से कुछ गार्ड सेवा-निवृत्त हो चुके हैं ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) आइज्जटनगर डिस्ट्रिक्ट के गार्डों की ओर से पहले-पहल १९५८ में प्रतिवेदन